INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP00651117133X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SHREE NAM KRISHNA EDUCATIONAL MISSION MAHARAM (JKP)

Article 5 Agreement or Memorandum of an Agreement

Not Applicable

SHREE NAM KRISHNA EDUCATIONAL MISSION MAHARAM (JKP)

Not Applicable

SHREE NAM KRISHNA EDUCATIONAL MISSION MAHARAM (JKP)

100

(One Hundred Only)

Signature

Sd/ Rajesh Kumar Sahu

Sub Registrar

Sub Registrar Tarari, SBP

Mob. 8707945371

Licence No. 123 / Vend Seller / Sub-Registrar

NOTARIAL

NOTARIAL

NOTARY

SOUTH

NOTARY

TORAWATI

(प्रपत्र-'अ')

वर्ष 2023-24 में नवसृजित की जाने वाली विभिन्न ग्राम कमेटी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा शपथ-पत्र का प्रारूप

1. मैं गोपाल चतुर्वेदी (अध्यक्ष) एवं अनुराग चतुर्वेदी (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री राम कृष्ण एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट सी-10 इन्फ्राटेक सेंटर गोपालपुरा गोरखपुर निवासरत् घोषणा करता हूँ–
2. यह कि समिति सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा **इन्फ्रास्ट्रक्चर और कमेटी एवं वित्तीयिक समावेशन कमेटियां गोरखपुर** ग्राम विकास हेतु कमेटी संस्थान की स्थापना वर्ष 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।
3. यह कि समिति सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम की राम कृष्ण एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट सी-10 इन्फ्राटेक सेंटर गोपालपुरा गोरखपुर में गाटा संख्या 206, 208, 209, 210, 211, 212 एवं 213 रकबा क्रमशः 1.2 एकड़ हेक्टेयर (कुल रकबा 2.5 हेक्टेयर) भूमि है।
4. यह कि उपरोक्त भूमि का किसी प्रकार का वाद या किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि निर्विवाद है।
5. यह कि उपरोक्त वर्णित सोसाइटी के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या 206, 211, 212 रकबा क्रमशः 0.[illegible] हेक्टेयर (कुल रकबा 0.176 हेक्टेयर) का उपरोक्त नाम की विभिन्न ग्राम कमेटी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक [illegible] द्वारा पारित किया गया है।
6. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित विभिन्न कमेटी संस्थान के संचालन हेतु भवन का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
7. यह कि निर्माण समिति के समक्ष उपरोक्त पूरे का सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माणित भवनों को ही निर्माण समिति के समक्ष निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
8. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कमेटी अन्तर्गत अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी के निजी के अलावा ही विभिन्न कमेटी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
9. यह कि इस संबंध में कमेटी अन्तर्गत अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं अनिवार्य किया गया/हुए से सम्बद्ध मानचित्र एवं अन्य लागत के अनुसार ही संचालन में प्रतिबन्ध प्रदान किया जायेगा।

NOTARY

७. यह कि प्रस्तावना कृषि व दूध का विविध कार्यों में कार्यकारी कार्यालयों और दुग्धशाला, नई दिल्ली के अनुसूचित एवं अनुसूचित जाति परिषद, उद्यान संस्थान के समस्त संस्थान एवं महाराजगंज के अनुसूचित जाति अध्ययन परिषद / जिलाधिकारियों द्वारा अनुसूचित/ समस्त कार्यों अन्य संस्थान/निदेशालय/कार्यालयों/कार्यदायियों आदि का संचालन व उन पूर्ण में आगे किया गया है और न ही भविष्य में आगे किया जायेगा।

८. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कार्यालय कार्य कर्मचारियों एवं कार्यालयों आदि को कार्यकारी कार्यालयों और दुग्धशाला, नई दिल्ली एवं अनुसूचित जाति परिषद के कार्यालयों के अनुसार ही पूर्णरूपेण किया जायेगा।

९. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की नियमित नियुक्ति/पूर्ण द्वारा एवं प्रत्येक के पूर्ण का किया जायेगा।

१०. यह कि कार्यालय/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का कार्यपालिका पालन करेगा, यदि यह संस्थान में किसी भी समय कार्यरत नियमित के कार्यानुसार कोई भी कमी पाई जाती है परिषद् कि नियमित एवं कार्यानुसार कार्यकारी द्वारा किया गया नियमित अनियमित [illegible] द्वारा हेतु या द्वारा कोई नियमित कार्यकारी नहीं की जायेगी।

११. मैं शपथपत्र कारण/कार्यकारी हूँ कि यह द्वारा की गई उपरोक्त सूचना की नियमित कार्यवाही है पूर्णरूप से सत्य है। पूर्ण की गयी कार्यवाही एवं अभिलेख/उपलब्ध कार्यों कार्यालय अथवा पूर्णरूपेण प्रकाशित होते हैं। यह यह विभाग परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यालय कार्य कार्यालय की गई कार्यवाही। किसी भी नयी नियमित कार्यवाही हेतु मैं सदा उपलब्ध रहेंगा।

NOTARY

NOTARY

20-9-25

20-9-25